(17)

(२८)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्ष : आर. के.मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2709–दो/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 01–08–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा का प्रकरण 356/अपील/ 2013–14

---

1. श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी तुलसीलदारस तिवारी
2. श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी स्व0 रमेश प्रसाद मिश्रा
निवासीगण ग्राम कुड़वा तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

प्रकाश पटेल पिता रामकिशन पटेल
निवासी हरनामपुर तहसील मैहर जिला सतना

.....अनावेदक

श्री प्रमोद मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बृजभान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :
(आज दिनांक 04/02/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 01–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार प्रभारी वृत्त मैहर के प्रकरण कमांक 50/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20–2–2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 03–3–2014 से अपील खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 01–8–2014 को अपील

स्वीकार कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक तथा अनावेदे ने भूमि (प्लाट) कय किया तथा सीमांकन में पाया कि अनावेदक का कब्जा आवेदक की भूमि पर पाया स्थल निरीक्षण में यह बात स्पष्ट पायी गयी। व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि पर अनावेदक का कब्ज पया गया। अनावेदक के विरूद्ध इस बावत कब्जा छोडने का आदेश तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया गया है। उपरोक्तानुसार कब्जा दखल को आवेदक को सौंपना गया है। अपर आयुक्त का यह तथ्य कि कब कब्जा किया प्रमाणित नहीं है, आधारहीन है। स्पष्ट है कि सीमांकन के समय पाया अनावेदक का अवैध कब्जा है तथा व्यवहार न्यायालय ने भी बेजा कब्जा सिद्ध पाया है। अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01–8–2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार प्रभारती वृत्त मैहर का आदेश दिनांक 20–2–2013 तथा अनुविभागीय अधिकारी मैहर का आदेश दिनांक 03–3–2014 स्थिर रखा जाता है।

04/02/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर